साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 अंक 33 प्रति सोमवार इंदौर, 18 मार्च से 24 मार्च 2024 पृष्ठ 8 मूल्य 5/- रुपए

मोदी चारों तरफ शत्रुओं से घिरवा रहे देश

चीन ने धन बल छल से पड़ोसियों को बनाया अपना

मोदी को पहनावे, मौज मस्ती, फोटो खिंचवाने नौटंकी करने, लूट, भ्रष्टाचार, चुनावी वाचालता से फुर्सत मिले तो देखें देश

भारत और चीन की प्रतिद्वंद्विता दक्षिण एशिया को दे रही नया आकार

लगभग दो अरब लोगों, दुनिया की कुछ सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं और महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों का घर, दक्षिण एशिया एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक क्षेत्र है और एशिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों-चीन और भारत के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता का स्थल है।

यह बढ़ती प्रतिस्पर्धा कई क्षेत्रों में प्रकट होती है। बहुत कुछ समान होने के बावजूद- परमाणु हथियारों के साथ उभरती शक्तियाँ और बहुध्रुवीयता की साझा महत्वाकांक्षा के साथ बड़ी आबादी के रूप में - भारत और चीन एक-दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं।

इसने दोनों देशों को एक-दूसरे के प्रभाव को नियंत्रित करने की कोशिश करने और दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय रणनीतिक हित के नए क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित किया है।

चीन के लिए, दक्षिण एशिया में अधिक प्रभाव घरेलू और विदेश नीति के लक्ष्यों का समर्थन करता है, विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र के महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री मार्गों के माध्यम से विश्व बाजारों तक पहुंच की रक्षा करना।

क्षेत्रीय नौसैनिक प्रभुत्व के रूप में भारत की स्थिति को चुनौती देने के उद्देश्य से, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) नौसेना ने भी हिंद महासागर में उपस्थिति बनाई है।

इसके अलावा, महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का उपयोग करते हुए, बीजिंग ने बुनियादी ढांचे में निवेश और समुद्र, सड़क और रेल के माध्यम से अधिक कनेक्टिविटी के माध्यम से दक्षिण एशिया में संबंधों को मजबूत किया है। यह पड़ोस में 'साझा सुरक्षा समुदाय' बनाने की चीन की महत्वाकांक्षा का भी समर्थन करता है।

भूटान को छोड़कर भारत के अधिकांश दक्षिण एशियाई पड़ोसी

बीआरआई में शामिल हो गए हैं, जिसके तहत सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर के माध्यम से चीनी निवेश काफी बढ़ गया है। 2018 के बाद से, चीन ने बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं में 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान या निवेश किया है। चीन अब मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है।

इसने भारत को चिंतित कर दिया है, जिसे डर है कि चीन उसके अपने प्रभाव क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है और यहां तक कि बीजिंग के 'मलक्का दुविधा' के डर के समान, भारत को 'मोतियों की माला' से घेर सकता है।

चीन द्वारा जिबूती में एक सैन्य अड्डे की स्थापना और श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा एक चीनी सैन्य निगरानी जहाज को हंबनटोटा बंदरगाह पर खड़ा करने की अनुमति ने इन चिंताओं को बढ़ा दिया है। भारत के दृष्टिकोण से, क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव ने उन्हें प्रतिस्पर्धा में डाल दिया है, जिससे उन्हें अपनी विदेश नीति और क्षेत्र में भागीदारी पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उसने दक्षिण एशिया में 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति लागू करके ऐसा किया है।

(शेष पेज 6 पर)

दोनों चुनाव आयुक्त पुराने चेले मोदी-शाह के

मतदान से गिनती तक 45 दिन जालसाजी के लिए भरपूर समय

15 लाख गायब मशीनें, पोर्ट खुले, स्ट्रांग रूम में सेंध, एकतरफा जीत की व्यवस्था

भारत में चुनावी नौटंकी की शुरुआत 15 मार्च 24से आचार संहिता की घोषणा के साथ हो चुकी है। षड्यंत्रकारी सत्ताधीशों ने चुनाव आयोग में अपने दो खास घोर भ्रष्ट भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारी जो पूर्व से ही मोदी और शाह के साथ रह कर उनके सारे मोटे कमीशन के षड्यंत्रों को सफलतापूर्वक अंजाम देने का काम करते रहे हैं। जिसमें मुख्य रूप से ज्ञानेश कुमार ने किसानों की मांगों का स्वीकार न करने के लिये उनको 19-20 में व फरवरी 24 से चलने वाले किसानों के एमएसपी के आंदोलन में मोदी के इशारों पर नाच कर सभी तरीके से परेशान करने में सहयोगी रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय समिति ने गुरुवार 14 मार्च को दो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के तौर पर चुना. इन दोनों अधिकारियों ने शुक्रवार 15 मार्च को अपना कार्यभार संभाल लिया है.

बता दें कि ये नियुक्तियां आम चुनावों की घोषणा से महज़ कुछ दिन पहले हुई हैं.

(शेष पेज 6 पर)

उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सत्ताधीशों पूंजीपतियों की रखैल

न्यायालय न्याय के मंदिर नहीं जुए के अड्डे

-स्व.भूतपूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन

न्यायाधीशों को देश व देश की जनता से नहीं, अपनी सुख सुविधाओं, वेतन, भत्ते, पद, शक्ति के भोग से मतलब

न्यायालय न्याय के मंदिर नहीं जुए के अड्डे हैं। जो जितना पैसा खर्च करेगा उसे उतना न्याय मिलेगा। यह भूतपूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन ने संस्मरणों में एक कहानी में कहा था।

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जब वह वकील थे, ने अपने संस्मरणों में एक कहानी सुनाई है। वह एक मुवक्किल की ओर से पटना की एक अदालत में पेश हो रहे थे। उन्होंने न्यायाधीश से कहा, 'माई लॉर्ड, इस मामले में न्याय के लिए इसकी आवश्यकता है आदि।' जिस पर न्यायाधीश ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कहा, 'न्यायाधीश यहां न्याय करने के लिए नहीं हैं, बल्कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार मामलों का फैसला करने के लिए हैं'। यहां तक कि हाल ही में भारत में एक न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को इस आधार पर रिहा कर दिया कि ठोस सबूतों की कमी थी, हालांकि न्यायाधीश स्वयं इस बात से आश्वस्त थे कि उस व्यक्ति ने वह कार्य किया है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था। रहस्यमय हैं न्याय के तरीके. इसीलिए कहा गया है कि ' न्यायालय न्याय के मंदिर नहीं जुए के अड्डे पर निर्भर करता है।' जो जितना धन खर्च करेगा उसे उतना न्याय मिलेगा। राष्ट्र बचन हितों के खिलाफ वैद्युतकीय चुनावी मशीनों की सारी याचिकाओं को खारिज कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने फिर यह सिद्ध कर दिया। और फिर वहीकि न्यायालय न्याय के मंदिर नहीं हुए के अड्डे हैं और राष्ट्रपति के आर नारायणन के इस 24 साल पुराने दिए हुए कथन को सत्य सिद्ध कर दिया।

चंद्रचूड़ भी भले ही छोटे-मोटे मामलों में अच्छे फैसला सुना देता हो।

(शेष पेज 2 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

लोकतांत्रिक राष्ट्रों में सब बिकाऊ, खरीददार चाहिये

अमेरिका से लेकर भारत तक पूरे विश्व के सभी लोकतांत्रिक राष्ट्र यथार्थ में जालसाज पूंजी उद्योग पतियों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण उनके उनके दानगृहिता राजनीतिक दलों की सत्ताओं के कारण उनके इशारों पर नाचने व उनके फायदे के लिए काम कर रही सत्ताओं द्वारा जनता को लूटने बर्बाद करने के कारण लूटतांत्रिक बन चुके हैं। इस लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। जनता द्वारा चुना गया जनहितों के लिए देश व जनता के वर्तमान और भविष्य के कल्याण व राष्ट्र की मजबूती के लिए काम करेगा। परंतु उसके विपरीत न केवल अमेरिका भारत व अन्य सभी विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्रो में देसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूंजीपतियों द्वाराचुनाव मेंधन खर्च करअपने मनपसंद केकठपुतली नेताजो जो घोर अपराधिक भ्रष्ट जालसाज मानसिकता के होते है सत्ता में पहुंचा दिया जाता हैजैसा कि वर्तमान मोदी सरकार देसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों सेमोटा चंदा खाकर उनके लिए कानून बनाने से भी परहेज नहीं कर रही। हाल ही में इलेक्टोरल बांड के मामले में जिस जुआखोर कंपनीफ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेजने 1368 करोड रुपए का जो चंदा दियाउसी के लिए मोदी सरकार ने जबकि संविधान के अनुसार सभी जुयें सट्टे से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन देने वाले विज्ञापन और गतिविधियां अवैधानिक होने के उपरांत भी, जबकि देश मेंइन जालसाज डकैत लोटरी कंपनियों ने ऑनलाइन गेमिंग को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार न केवल समाचार पत्रों टीवी चैनलों, दुनिया की सबसे कुख्यात जलशा कंपनी गूगल जिसने पूरी दुनिया के देश की सरकारों से लेकर जनता तक को अपने सूचना तंत्र के मकड़ जाल में उलझा उनके सबके कंप्यूटरों संग्रहित दस्तावेजों बातचीत पत्राचार गूगल मीट से दूरस्थ सभाओं गूगल शीट से सारे आंकड़े संग्रहित करने के साथ भारतमें ही चल रहे150 करोड़ मोबाइलों के नंबरों से चलने वाली बातों वीडियो लेखो मौद्रिक प्राप्तियां व लेन देन करने की जानकारी को एकत्रित कर उसको बेचने व्यावसायिक फायदा उठाने के साथ-साथ अपने हर यूट्यूब के वीडियो, गूगल पर एकत्रित जानकारियों को देखनेजानकारी समझनाआदि में वह अपनेइन जलसा जो सट्टे की कंपनियां केविज्ञापन देकर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक उलझा और उनको जुये सट्टे में खोलने के बहाने लूटने लूटवाने में अपनी कमाई करने के साथइन जालसाजी गेमिंग कंपनियों की भी मोटी कमाई करवा कर जनता की बर्बादी में लगे होने के बावजूद भी सरकार स्वयं गूगल की गुलाम बन उसके सारे षड्यंत्रों को संरक्षित करने में लगी रहकरजो उसने व्यक्तिगत डेटा का कानून बनाया उसमें भी गूगल के हितों को ही संरक्षित किया। दूसरी तरफ सरकार ने जुयें सट्टे की कंपनियों को उनमे मोटा चंदा हजम करने के कारण अवैधानिक घोषित न कर उल्टे हीउसकी आय पर करारोपण कर पिछले दरवाजे सेकानूनी रूप से वैधानिक बना दिया। वहीं हाल देश की सार्वजनिक संपत्तियों को जिसमें तेल, बेल गेल, मेल मेल रेल भेल विद्युत बैंकिंग बीमा कंपनियां एयर इंडिया संवैधानिक रूप से नहीं बेंचा जा सकता था कबाड़ के भाव बेंचने के साथ, वित्तीय संस्थानों को खाली करने व्यवसायों को अंतरित करने का षड्यंत्र भी कर दिया। केवल मोटे कमीशन की खातिर, जिन सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों चिकित्सालयों, देवालयों को जो जनता के धन से बनाये गये थे। उनकोभी मोटा कमीशन लेकर षड्यंत्रकारी जालसाज समूहों को मोटे कमीशन पर जन भागीदारी के नाम अंतरित किया जा रहा है। आपने देखाबहुराष्ट्रीय कंपनियों के मोटे फायदे के लिए मोदी ने आते ही साथ सफाई कैशलेस नोटबंदी जीएसटी तालाबंदी का जो शासकीय स्तर पर शासकीय मशीनरी का उपयोग कर तांडव किया उसने लगभग 3 करोड़ से ज्यादा उद्योग धंधों में व्यवसायियों को चौपट कर 30 करोड़ को बेरोजगार कर दिया। अमेरिकी षड्यंत्रकारी विश्व घातक स्वास्थ्य एवं व्यापार संगठन के इशारों पर नाच कर देश के 10 करोड़ उच्च शिक्षित बेरोजगारों को भी दैनिक वेतन भोगी, ठेका व संविदा कर्मी बना मजदूरों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। जिस पर किसी भी सत्ता व पूंजीपतियों के इशारों पर नाचने वाले उच्च व सर्वोच्च न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं होती। अर्थात लोकतंत्र पूंजीपतियों के इशारे पर नाच यथार्थ में लूटतंत्र बन चुके हैं। जहां वरन न केवल सत्ताधीश बल्कि उनके द्वारा बनाए हुए कानून उनकी गुलामी और जन शोषण के कारण बन चुके हैं। वहीं हाल अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी जापान आदि देशों की सातों का भी है वहां पर भी पूंजीपतिअपनी मर्जी से कानून बनवाकर जनता को लूटनेछोटे व्यापारियों उद्योगपतियों को खत्म करने का बॉलमार्ट अमेजॉन के साथ हथियार दवायें रसायन वाहन बनाने वाली, इलेक्ट्रॉनिक आदि की बड़ी कंपनियों के इशारे पर नाच कर विभिन्न संयंत्र की आड़ में कानून बनाकर जनशोषण का देश व दुनिया में खोल खोल रही हैं। अर्थात लोकतांत्रिक देश यथार्थ में पूंजीपतियों की कठपुतली सरकारों द्वारा चलाई जाकर वह जो खरीदना चाहे खरीद सकते हैंबस सरकारों को खरीददार चाहिए।

न्यायालय न्याय के मंदिर नहीं जुए के अड्डे -स्व.आर नारायणन

पेज 1 का शेष

ईवीएम जैसे मामले में जिसमें स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने वकीलों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया हो। पूरे देश में तरह ही तेरा ही मची होईसके बाद में भी सारी याचिकायें खारिज कर देना।

यथार्थ में फिर बेचारे न्यायाधीश सरकार भले ही जनता से कितने ही भारी भरकम करो में लूटे जो वेतन देती है। उसकी गुलामी अपनी आत्मा को बेचकर भी करनी पड़ेगी। उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्तियां अपने राजनीतिक संबंधों सट्टा पूंजी पतियों को इशारे पर नाचने के दम पर उन दलाल वकीलों निचले उच्च व निचले न्यायालयों के न्यायाधीशों, अधिकारियों की, की जाती है। जो पूर्व से ही सत्ताधीशों व पूंजी पतियों के हितों में काम करते रहे हों। पुराने ऐतिहासिक घोर भ्रष्ट जालसाज रहे हो जिन्होंने सत्ताधीश नेताओं और पूंजीपतियों को उनके षड्यंत्रों छल कपट भ्रष्टाचार के प्रकरणों में उन्हें बचाने के लिएउल्टे सीधे फैसले देकर जनहितों के विरुद्ध काम किया हो।

उनके लिए नीचे से लेकर ऊपर तक सारी फाइले सारी अनुशंसाएं मुख्यमंत्री राज्यपाल प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालयसे लेकर राष्ट्रपति तक बेरोक टोक जाने के साथउनको नियुक्त कर दिया जाता है जो बाद में अपनी वफादारी के प्रदर्शन में राष्ट्र व जनहितों को त्याग आंख मीच सत्ताधीशों और पूंजीपतियों की चरण दासी करते हुए फैसला देते हों। यह इतिहासअभी का नहीपिछले 40-50 सालों से सतत दोहराया जाता रहा है। और वर्तमान में भी हाल ही में सत्ताधीशों के चुनावी वोटिंग मशीन के छल कपट से दो बार से केंद्र में व देश के राज्यों में सत्ता हथियाने के षड्यंत्रों के विरुद्ध लगी हुई अनेकों याचिकाओं कोरे से खारिज कर देने के बारे में स्पष्ट हो चुका है।

जबकि वैद्युतकीय चुनावी यंत्र केविरुद्धसर्वोच्च न्यायालय के वकीलों के साथ जिसमें अनेकों बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी प्रदर्शन में भाग लेने के साथ इसी सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने याचिकायें भी फाइल की थी। उन्हीं न्यायाधीशों ने 10 साल में देश व जनता की बर्बादी देख व जानकर भी जनहितों को नजरअंदाज कर एक तरफा बिना सुनवाई किए सबको खारिज कर दिया। यह कोई पहला मौका नहीं जब ऐसा किया गया हाइसके पूर्व में भी राष्ट्र व जनहितों को त्यागफर्स्टली दिए गए हैंचाहे उसमें से हजारों करोड़ों की रिश्वत खाकर गुटखा निर्माता माफियाओं को जिस गुटके के कारण करोड़ों लोगों को कैंसर जैसी बीमारीके के लपेटे में आकर मौत हो रही है स्वास्थ्य विभाग ने ही अनेकों बार तंबाकू व उससे बने हुए संबंधित उत्पादों पर प्रतिबंधित करने की मांग उठाई पर आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी जो भारत में ब्रिटेन की ब्रिटिश टोबैको कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनी है उसे हजारों करोड़ का चंदामिलने के साथभारी कर की आय होती हैप्रतिबंधित करने की अपेक्षा उसे अवयस्कों के लिए प्रतिबंधित करने के साथ उसकी दुकान शिक्षा के मंदिरों से दूर रखने के लिए घुमाकर फैसले दे दिया गया।

https://asia.nikkei.com/Opinion/Indian-Supreme-Court-ruling-is-a-blow-against-crony-capitalism

भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्रोनी पूंजीवाद के खिलाफ एक झटका है

पिछले महीने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रमुख अभियान वित्तपोषण उपकरण को असंवैधानिक करार देकर देश में व्यापार और राजनीति के बीच अपवित्र गठजोड़ पर कड़ा प्रहार किया।

यह निर्णय संबंधित है जिसे चुनावी बांड के रूप में जाना जाता है, 2017 के कानून के तहत बनाया गया एक उपकरण जिसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 'धन विधेयक' के रूप में संसद के माध्यम से आगे बढ़ाया, जिसका अर्थ था कि कानून को उच्च सदन की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी जहां उनका भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के पास बहुमत नहीं था.

पहले, भारतीय राजनीतिक दल यह दावा करके प्राप्त अधिकांश दान की जांच से बचते थे कि प्रत्येक में 20,000 रुपये (₹241) से कम नकद शामिल था।

बांड के साथ, अधिम नकदी भारतीय स्टेट बैंक के पास चली गई है। दानदाताओं के बदले में जारी किए गए बांड को किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम रूप से दिया जा सकता है। फिर पार्टियां अपने लिए धन इकट्ठा करने के लिए बांड को वापस बैंक में जमा कर देंगी।

धारणा यह थी कि यह संरचना राजनीति में काले धन की भूमिका पर अंकुश लगाएगी, साथ ही दानदाताओं को उनकी पसंदीदा पार्टी के हारने की स्थिति में संभावित प्रतिशोध से बचाने के लिए गुमनामी का आश्वासन भी देगी। यह कागज पर अच्छा लग रहा था।

समस्या यह थी कि सत्ता में रहने वाली पार्टी राज्य के स्वामित्व वाले बैंक में नियुक्तियों के माध्यम से दानदाताओं की पहचान आसानी से पता लगा सकती थी। शायद इसी का परिणाम है कि चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त कुल चंदे का लगभग तीन-पाँचवाँ हिस्सा भाजपा को मिला है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बांड की गुमनामी सुविधा मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, जिसे न्यायाधीशों ने कहा कि सूचित निर्णयों को सक्षम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

इसने स्टेट बैंक को बिक्री रोकने और अप्रैल 2019 से बेचे गए बांडों का विवरण 6 मार्च तक भारत के चुनाव आयोग को जमा करने का आदेश दिया। आयोग को एक सप्ताह के भीतर अपनी वेबसाइट पर जानकारी जारी करने का निर्देश दिया गया।

अदालत के फैसले ने 2013 कंपनी अधिनियम में किए गए संशोधनों को रद्द कर दिया, जिसने पिछली आवश्यकता को समाप्त कर दिया कि राजनीतिक योगदान देने वाली कंपनियों को यह खुलासा करना होगा कि कुल योगदान को शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में सीमित करते समय प्रत्येक पार्टी को कितना दिया गया था।

कोई केवल इस बारे में अनुमान लगा सकता है कि चुनाव आयोग द्वारा अनावरण किए जाने वाले डेटा दानदाताओं और राजनेताओं के बीच संभावित बदले की भावना के बारे में क्या संकेत दे सकते हैं, लेकिन यह कहना सुरक्षित है कि मोदी सरकार वास्तव में बड़े निगमों के लिए अच्छी रही है।

सरकार ने कॉर्पोरेट आयकर दरों में भारी कटौती की है और प्रति वर्ष 1.45 ट्रिलियन रुपये का राजस्व माफ कर दिया है। भारतीय उपभोक्ताओं की कीमत पर स्थानीय निर्माताओं की मदद के लिए आयात बाधाओं को लगातार बढ़ाया गया है। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत, प्राप्तकर्ताओं का चयन कैसे किया जाता है, इस बारे में सार्वजनिक पारदर्शिता के बिना वितरण के लिए 2 ट्रिलियन रुपये का बजट रखा गया है।

इस तरह के कदमों के मद्देनजर, कॉर्पोरेट मुनाफे में वृद्धि हुई है। 2019 के बाद से, निफ्टी 50 स्टॉक इंडेक्स में कंपनियों का संयुक्त मुनाफा 15% की वार्षिक दर से बढ़ा है, जो पिछली गति से तीन गुना से भी अधिक है। इस बीच, निजी पूंजी निवेश, जिसे सरकारी उपाय प्रोत्साहित करने वाले थे, मंद बना हुआ है।

गुमनामी खत्म होने के बाद, कंपनियाँ नकद दान की ओर लौट जाएँगी लेकिन कम से कम सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच एक समान अवसर होगा।

फिर भी, पारदर्शिता अभियान योगदान में बड़ी गिरावट का कारण बन सकती है। भारत के एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़ों पर आधारित गणना के अनुसार, राजनीतिक दलों ने चुनावी बांड के माध्यम से प्रति वर्ष 27.53 अरब रुपये लिए, जबकि पिछला वार्षिक योगदान स्तर केवल 2.4 अरब रुपये था।

जैसे ही पिछले योगदानों का विवरण सार्वजनिक हो जाता है और नए योगदान प्रकटीकरण के अधीन हो जाते हैं, कंपनियों को उनकी राजनीतिक संबद्धता और प्राथमिकताओं के बारे में असहज सवालों का सामना करना पड़ सकता है। इससे किसी विशेष पार्टी या विचारधारा के अत्यधिक समर्थक के रूप में देखी जाने वाली कंपनियों के खिलाफ सार्वजनिक प्रतिक्रिया हो सकती है।

नकद दान पर नज़र रखने की समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार व्यक्तियों और कंपनियों के लिए ऑनलाइन और डिजिटल चैनलों के माध्यम से दान करना अनिवार्य कर सकती है, एक विचार जिसे भाजपा ने 2017 में चुनावी बांड के माध्यम से आगे बढ़ाने में खारिज कर दिया था।

किसी भी स्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय राजनीतिक संस्थानों में बेहतर विश्वास को बढ़ावा देगा और संभावित रूप से भ्रष्टाचार को कम करेगा। मई तक होने वाले संसदीय चुनावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में बहुत देर हो सकती है, लेकिन फैसला अभी भी पहले से कहीं बेहतर है।

किसी भी स्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय राजनीतिक संस्थानों में बेहतर विश्वास को बढ़ावा देगा और संभावित रूप से भ्रष्टाचार को कम करेगा। मई तक होने वाले संसदीय चुनावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में बहुत देर हो सकती है, लेकिन फैसला अभी भी पहले से कहीं बेहतर है।

किसी को भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि इस फैसले का कॉर्पोरेट दानदाताओं पर किस तरह का निवारक प्रभाव पड़ेगा, जो संदिग्ध उद्देश्यों के लिए गुमनामी पर निर्भर थे। गुमनामी का पर्दा हटाकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने क्रोनी पूंजीवाद को करारा झटका देने और अधिक जवाबदेह और खुले राजनीतिक परिदृश्य को बढ़ावा देने की क्षमता है।

वन विभाग वनेलों की डकैती का अड्डा

वृक्षारोपण ही नहीं, वन संपत्तियो में भीभारी भ्रष्टाचार

वन औषधियां वन उपजवन भूमि आदि में भी वनपाल से लेकर मंडल अधिकारी तक लूट के हिस्सेदार

मध्य प्रदेश के वन विभाग में हर बीट से लेकर वन मंडल अधिकारी और मुख्य वन संरक्षक से लेकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक व प्रधान सचिव तक सब वनो के विकास संरक्षण के साथ अभयारणों, वन भूमि पर बसे वनग्रामो के वनवासियो की संरक्षण विकास के साथ प्रदेश मे वन्य प्राणियो के संरक्षण के लिए विश्व वन विधि से 2000 करोड डॉलर अर्थात 170000 करोड़ रुपए का दान भी मिलता है।

वन खाओ सेवा के घर भ्रष्ट जलसा अधिकारियों से लेकर बीट गार्ड या वनपाल तक आवश्यकता और पद की सामर्थ के अनुसार अपने-अपने स्तर का भ्रष्टाचार कर स्वयं के हिस्से के साथ वरिष्ठों को भी हिस्सा पहुंचाते हैं। इसलिए वनो के विकास का पैसा मूल रूप से कंपा फंड जो वनो के विकास के लिए वृक्षारोपण मे काम आता है। परंतु अधिकांश पैसा हजम कर लिया जाता है।

वन विभाग की संपत्तियों मे वन भूमि जिसे वही के कर्मी किसानो को पेट पर देकर वसूली करते रहते हैं मो भूमि पर अवैध खतरो से भी वन कर्मियों से लेकर एसडीओ डीएफओ और सीसीएफ तक पैसा पहुंचता है इसके साथ ही पेड़ो की अवैध कटाई के पीछे भी वन विभाग के कर्मी ही अपनी भूमिका अदा करते हैं वन्य प्राणियों को संबंध मे भी जो पैसा विश्व बने निधि से पूरे प्रदेश के वन्य प्राणियो के संरक्षण विकास भोजन वह अन्य व्यवस्थाओं के लिए जो 2000 करोड डॉलर जिसे भारतीय रुपए मे 170000 करोड रुपए होता है वह भी भोपाल से लेकर प्रदेश के सारे अभ्यारणों मे और प्रदेश के जंगलों मे शेर तदुए वह अन्य वन्य जीवो के लिए आता है हजम कर लिया जाता है अकेले इंदौर मंडल के अंतर्गत इंदौर की वन भूमियो मे चारो उप संभागो मे एसडीओ के संरक्षण मे वन भूमि पर कालोनियों काटने की खेती करने व अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने मे इन्ही वन विभाग की कर्मचारियो की अहम भूमिका होती है। इंदौर का जीएनटी मार्केट जो पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा काष्ठ बाजार है। वहां की आरा मशीन के नवीनीकरण पंजीयन और कितनी काष्ठ कहां से आई क्या उपयोग किया आदि की पंजी का भी इंदौर के एसडीओ के के नियमों के अंतर्गत भारी मोटी वसूली कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है यही कारण है कि यह हरामखोर उपवन मंडल अधिकारी के के निनामा समय माया समाचार पत्र को देखकर भड़क उठता है। जबकि सूचना के अधिकार मे जानकारी देने वन भूमि के नक्शे देने और वहां के मुख्य वन संरक्षक वन मंडल अधिकारी व अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के वन विभाग के आवासो विश्रामगृह कार्यालयों भवनों पर करोड़ो रुपए जो हर वर्ष खर्च किया जा रहा है। उसके भुगतान देयक देने मे बहाने बनाने के साथ अपील लगाने पर मुख्य वन संरक्षक सनोडिया जो इन सब का हिस्सेदार हैन केवल इंदौर की वरुण धार झाबुआ अलीराजपुर के वन मंडलो की अपीलो को खारिज कर देता है।

रालामंडल के अभयारण मे परिवहन रखरखाव व अन्य खर्चों मे भी भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इनके भास्कर ने अनेको बार प्रकाशित किया।

जहां 2.34 करोड़ खर्च कर 79 हजार पौधे लगाने का दावा, वहां तीन साल बाद भी लहरा रही सिर्फ घास

इंदौर वन विभाग ने कंपेल मे 79 हेक्टेयर जमीन पर 2 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च कर करीब 79 हजार पौधे लगाए। 2020-21 मे पौधारोपण शुरू हुआ था। अधिकारियों को यहां पौधे गोद लेकर 10 वर्षो तक उनकी देखभाल करनी थी, लेकिन तीन साल बाद ही यहां सिर्फ घास नजर आ रही है। लोकायुक्त ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तत्कालीन सीसीएफ एचएस मोहंता ने मौजूदा सीसीएफ एनके सनोडिया को कड़ा पत्र लिखा। गड़बड़ी की लोकायुक्त मे शिकायत भी की गई। शिकायत मे उल्लेख है कि निंदाई, गुड़ाई, पानी देने के फर्जी बिल-वाउचर पास कर पैसा भी हड़प लिया गया। वही राज्य स्तरीय टीम भी जांच करने शुक्रवार को कंपेल जा रही है। दरअसल, सेना ने फील्ड फायरिंग के लिए इंदौर वन मंडल की चोरल रेंज मे वन भूमि का अधिग्रहण किया था। वन विभाग को इसके बदले मे कंपेल मे 79 हेक्टेयर जमीन मिली थी।

इतने पौधे लगाना बताया

40,000 सागोन
24,000 आम, जामुन
5,000 नीम
5,000 खमेर

जंगल की भूमि के बदले मे जो जमीन मिलती है उसके लिए नियम यह है कि वहां 100 फीसदी पौधारोपण होना चाहिए। पौधे नष्ट हो गए हो तो उनकी गिनती करके नए सिरे से पौधे लगाने होते हैं। वही पौधों के 8 से 10 फीट के हो जाने तक उनकी नियमित देखभाल करने का भी नियम है। जांच के लिए पीसीसीएफ ने उज्जैन के सीसीएफ, डीएफओ, बागली, देवास के एसडीओ की कमेटी बनाई है।

यह कमेटी शुक्रवार को कंपेल का निरीक्षण करेगी। वही डीएफओ महेंद्र सोलंकी का कहना है कि पौधे नष्ट होते ही हैं। जितने पौधे नष्ट हुए हैं उनके बदले नए लगाए जा रहे हैं।

पूरे क्षेत्र को तार फेंसिंग से सुरक्षित करना होता है लेकिन यहां कई जगह फेंसिंग गायब है। पोल भी घटिया क्वालिटी के हैं जो कुछ दिन मे ही या तो टूट गए या गिर गए।

गड़बड़ी साबित होने पर एसडीओ कृष्णा निनामा, कंपेल के डिप्टी रेंजर, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है।

आय योग में बैठे भी सरकार की कठपुतली, 18 साल बाद भी आयुक्त पालन नही करवा सके

सूचना अधिकार अधिनियम का कितना पालन हुआ धारा 4 का

अगर धारा 4 की सारी जानकारी सार्वजनिक हो जाये तो आवेदन व आयोग औचित्यहीन हो जायेगा

देश में 55 साल बाद एक छोटा सा कानून संविधान की पारदर्शिता की और जन धन की मनमानी तरीके से लूट किए जाने के विपरीत बड़ी मुश्किल से जनहित में लागू किया गया जिसकी केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सरपंचों और पंचायतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ने ही सबसे ज्यादा धज्जियां बिखेरी।

जितना इस कानून का बलात्कार हुआ। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक ने ही शायद दुनिया मे सबसे ज्यादा फैसले इस कानून को कमजोर और भ्रष्ट जालसाज अधिकारियों को बचाने के लिए भारत मे दिए। और उन निर्णयों के आधार पर 90% केंद्र सरकार के कार्यालय और 50% राज्य सरकारों की कार्यालयों में बैठे अधिकारी जानकारी ना देने के 5-5 पेज के बचने के लिए संदर्भो मे जवाब दे देते हैं पर 5-10 पेज की जानकारी नही देते भ्रष्ट हरामखोर.

आज तक देश के किसी भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 4 को पूरा करने के लिए किसी भी मंत्रालय अधिकारी को आदेशित नही किया पर फैसले सैकड़ो उस कानून की पारदर्शिता की इच्छा को रौन्दने के लिए अवश्य दिए।

वैसे भी इस देश के उच्च व सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर नीचे तक सभी मंत्रालयो में भ्रष्टाचार को पालने पोसने और बढ़ावा देने मे पिछले 50 साल से सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं इसी कारण 25 जनवरी 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय के आर नारायणन ने कहा था न्यायालय न्याय के मंदिर नही जुए के अड्डे हैं।

पर न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय से लेकर उच्च व सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 का कितना पालन किया? पहले स्वयं गिरेबान मे झांक ले।

आयोग मे बैठे सारे देश के सूचना आयुक्त व केंद्रीय सूचना आयुक्त कानून को अपने बाप की जागीर ना समझे और फिर 18 साल गुजर जाने के बाद किसी भी विभाग ने धारा 4 का पालन क्यों नही किया दूसरी तरफ यह सारे जितने की सूचना आयोग मे बैठने वाले अधिकांश आयुक्त तो सरकार के मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की कृपा पात्र ही होते हैं और सरकार के हिसाब से ही चलते हैं। आखिर अगर अपनी औकात थी तो सूचना आयोग के सारे के सारे आयुक्तो ने 18 साल मे हर विभाग मे सारी जानकारी धारा 4 की पूरी क्यों नही करवा पाए।

दूसरी तरफ वहां बैठे सारे मक्कार जिन्हे सरकार ने खुश करने के लिए और सारी सरकारी सुविधाएं देने के लिए वहां बैठाया है। अपनी मनमर्जी से बिना किसी बहुत अच्छी योग्यताओं के साथ तो नही बैठाया। आखिर क्यों और फिर अपनी औकात मे रहना सीखो कानून के अंतर्गत आयोग ऐसा कोई भी सजा का निर्धारण नही कर सकता आप कानून के अंतर्गत बैठा ले गए हैं कानून का पालन कीजिए कानून का मजाक मत उड़ाओ। सूचना आयुक्तो।

आवेदको के विरूद्ध कार्रवाई करना और इस प्रकार के सरकारी अधिकारियों को बचाने आदेश देना क्या सरकार और उसके अधिकारियों को बचाने भ्रष्टाचार छुपाने,कृत्य नही है जो कानून की पारदर्शिता की आत्मा के विपरीत है।

सरकारी धन अपने बाप की जागीर नही जो कोई भी अधिकारी अपनी मनमर्जी से खर्च करेगा और उसका हिसाब भी नही देगा इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा हैं जब सूचना का अधिकार लगाने की घोषणा हुई थी तब अच्छे-अच्छे पंचायतो से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सबकी जान आफत मे आ गई थी सब भयभीत भी थे।

कि हमारे सारे भ्रष्टाचार खुल जाएंगे उल्टे ही भ्रष्टाचार खुलने की अपेक्षा इस आयोग ने उस कानून को ही मजाक बना दिया सारे कानून की स्पष्ट व्याख्या होने के उपरांत भी आखिर 18 साल गुजर जाने के बाद धारा 4 तो पूरी नही की गई इसके विपरीत जब की धारा 5 (2) मे स्पष्ट व्याख्या है, कि कि कार्यालय प्रमुख लोक सूचना अधिकारी होगा और उससे छोटा अधिकारी जो कम से कम उप संभागीय या उप जिला स्तर का होगा व सहायक लोक सूचना अधिकारी होगा।

के विपरीत वहां संभागीय कार्यपालन यंत्री जिला अधिकारी को अपने ही विभाग का अपीलीय अधिकारी बना दिया और सहायक यंत्री से लेकर बाबुओं तक को लोक सूचना अधिकारी ऐसे अनेको विभाग हैं।उस पर शिकायत करने के बाद हरामखोरो ने क्या किया? आज तक।

कितनी हजार कितने सालो से द्वितीय अपीलें आयोग के पास लंबित हैं। शीघ्र निपटाने के लिए क्या किया?

सामान्य प्रशासन विभाग को लिखने के उपरांत भी पूरे विद्युत कंपनियो मे, सभी कार्य विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालयों मे जिला पंचायतों मे जहां विभाग प्रमुख लोक सूचना अधिकारी होना चाहिए वहां वह स्वयं अपीलीय अधिकारी बन कर बैठ गया और जानकारी देने की तो दूर ऐसे सारे हरामखोर जालसाज अपने आप को बचाने के लिए धारा 8 (1) का सहारा लेकर अधिकांश आवेदनो का जवाब भी नही देते हैं अपील लगाने पर उसको भी खारिज कर दिया जाता है और आयोग के पास जाने के बाद सालो तक सुनवाई तो दूर कार्रवाई तक नही होती।

साप्ताहिक समय माया

होली का जश्न मनाएं और

तनाव से मुक्ति पाएं

माता-पिता को अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए और खाली समय में बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेलना, हल्का-फुल्का नाच-गाना, किताबें पढ़ना आदि गतिविधियों में शामिल होना चाहिए...

बहुत सारे लोग और हमारे छोटे बच्चे इस जश्न के दौरान सबसे ज्यादा उत्साहित रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप इस त्यौहार से थकान और तनाव महसूस होता है और अगर इस पर प्रभावी तरीके से दूर करने पर ध्यान नहीं दिया जाए तो इससे दबाव और अवसाद को बढ़ावा मिलता है...

हमारा भारत विविध संस्कृतियों और त्यौहारों का देश है। त्यौहार हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। फिर चाहे वे धार्मिक, राष्ट्रीय, फसलों की कटाई या मौसमी हों, हमारे देश के लोग खुशी, जश्न, भावना, जोश और एकजुटता तथा समरसता की सच्ची भावना का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा ही रंगों का एक त्यौहार है होली। होली का त्यौहार हमारे जीवन में जीवंतता घोलता है। यह जीवंत उत्सव प्रेम और भाईचारे का त्यौहार है। इस दिन सभी एक-दूसरे से मिलते हैं, हंसी-ठिठोली करते हैं, खेलते हैं और सभी बैर भूलकर शांति एवं सद्भाव से एक-दूसरे को गले लगाते हैं। इस खुशी के मौके पर हर कोई पूरे उत्साह और दिल से इसमें शामिल होते हैं। इस त्यौहार की ऊर्जा और गतिशीलता में हरेक व्यक्ति डूबा होता है, जिससे दिन के अंत में वे थक से जाते हैं और सुस्ती छा जाती है। हर किसी पर त्यौहार की उमंग छाई रहती है, जिससे सुस्ताने या आराम करने का किसी को समय नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग और हमारे छोटे बच्चे इस जश्न के दौरान सबसे ज्यादा उत्साहित रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप इस त्यौहार से थकान और तनाव महसूस होता है और अगर इस पर प्रभावी तरीके से दूर करने पर ध्यान नहीं दिया जाए तो इससे दबाव और अवसाद को बढ़ावा मिलता है, खासतौर पर छोटे बच्चों के मामले में, इसलिए एक अभिभावक होने के नाते मैं इस अवसर पर आपके साथ अपने विचार तथा होली की उमंग के बाद खुद को और साथ ही साथ छोटे बच्चों को मजबूत और उनमें स्फूर्ति का संचार करने के लिए कुछ सुझाव दे रही हूं।

आराम व अच्छी नींद

सोना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। मस्तिष्क को तरोताजा और सक्रिय बनाए रखने के लिए समुचित नींद बहुत जरूरी है। सोने से न केवल लोगों को आराम मिलता है, बल्कि यह मस्तिष्क को भी तरोताजा और पुनर्जीवित करता है, जो अगले दिन के काम के लिए व्यक्ति स्फूर्तिदायक बनाता है। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनका सही समय पर सोना सुनिश्चित करें। रात में करीब 8 से 10 घंटे की अच्छी नींद उनकी गतिविधियों और स्वभाव के लिए अद्भुत काम करेगी।

त्यौहार के बाद के लिए व्यवस्थित योजना बनाएं-

बच्चे त्यौहारी मौसम के दौरान काफी उत्साहित रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ मिलने-जुलने का मौका मिलता है। त्यौहार के खत्म होने के बाद हम सभी अपनी नियमित दिनचर्या में लौट आते हैं लेकिन हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर पाते। वे अकेला और उदास महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की याद सताने लगती है। ऐसे में उन्हें तुरंत उनकी दिनचर्या में लौटने के लिए दबाव देने के बजाय, माता-पिता को उन्हें उनके नियमित दिनचर्या में धीरे-धीरे लाने के लिए योजना बनानी चाहिए। उन्हें अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए और खाली समय में बच्चों के साथ थोड़ा-बहुत खेलना, हल्का-फुल्का नाच-गाना, किताबें पढ़ना आदि गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। उनके दोस्तों के साथ मेल-मुलाकात का प्रबंध करना भी अलगाव के दर्द को भुलाने का एक बेहद प्रभावी उपाय है।

स्वस्थ खाएं-

त्यौहारी मौसम के दौरान, खासकर बच्चों के लिए समुचित पोषण तनाव को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठ आहार बच्चों के तनाव को दूर करने और सही एवं संतुलित मात्रा में कैलोरी सामान्य विकास को बनाए रखने में मददगार होता है। सेवन से मना करना चाहिए। बच्चों के चीनी के सेवन को कम करना चाहिए, क्योंकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है और उन्हें ज्यादा सक्रिय बनाता है। उन्हें जितना संभव हो सेहतमंद एवं पोषक खाना देना चाहिए।

नियमित अंतराल-

व्यस्त त्यौहारी मौसम के बाद बच्चे पढ़ाई या अन्य महत्वपूर्ण कामों पर समय देने के मूड में नहीं होते हैं, क्योंकि त्यौहार की भावना उन पर हावी होती है। ऐसे मामले में पढ़ाई के दौरान थोड़ा सुस्ताने का मौका देना अच्छा उपाय है। पढ़ाई के साथ ही खेलने और सुस्ताने और फिर पढ़ने का समय अलग-अलग बांटें। सीखने के लिए निर्धारित करें। इस तरह के अंतराल से बच्चों को तरोताजा और उन्हें ऊर्जावान बनाने में मदद मिलती है। इन सबके अलावा, हमेशा प्यार और स्नेह दिखाएं तथा नियमित दिनचर्या में अपने बच्चों को वापस समायोजित करने में मदद के लिए उनका जरूरी सहयोग करें।

रंग छुड़ाने के दौरान बाल धोने के बाद उनकी कंडीशनिंग करें।

यदि बाल रंगों के दुष्प्रभाव से रूखे हो जाते हैं तो उनमें तेल की मालिश करें

रासायनिक रंगों से सावधान ताकि रंग न बिगाड़ें रूप

मस्ती का लुत्फ भरपूर लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम सबकी जिंदगी रोज-रोज अनगिनत किस्म के झमेलों में फंसकर हंसना, मुस्कुराना भूल गए हैं लेकिन इस मस्ती में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं लेने के देने न पड़ जायें। बेशक होली बेफिक्र होकर ही खेली जा सकती है लेकिन यह बेफिक्री बेहोशी की हद तक न हो नहीं तो कुछ घंटों की मस्ती बाद में लंबे समय के लिए अफसोस में बदल जाती है। आइये देखें कि होली खेलते समय किन सावधानियों को बरतना चाहिए।

- अपने चेहरे को गाढ़े रंगों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए चेहरे को तुरंत ठंडे पानी से धोएं। इससे चेहरे पर दाग भी नहीं पड़ते और होली खेलने के बाद वह रंग आसानी से उतर जाता है।
- होली खेलने के दौरान ऐसे कपड़े पहनें जिसमें पूरा शरीर ढका रहे। गर्दन में ऊपर तक हाईनेक और फुल स्लीव्स कपड़े पहनें ताकि शरीर के सभी अंग ढके रहें और रंगों का इन पर बुरा असर न हो सके। इसके अलावा शरीर पर होली खेलने के लिए निकलने से पहले नारियल का तेल या मॉइस्चराइजर लगा लें।
- बालों को रंगों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए सिर पर टोपी लगाएं। इसके अलावा नारियल के तेल की मालिश करें। ऑयल मसाज बालों को खतरनाक रसायनों के बुरे असर से बचाकर रखती है तथा बालों को धोने पर इससे रंग आसानी से निकल जाता है।
- होली के तुरंत बाद नाखूनों को रंगों से होने वाली क्षति से बचाव के लिए मैनिक्योर या पैडिक्योर न कराएं, क्योंकि इनमें लगे रसायनयुक्त रंग हमारे नाखूनों और उनके पोरों में अवरोध पैदा कर सकते हैं।
- होली के रंगों से त्वचा में सनबर्न हो सकता है और त्वचा टैन हो सकती है। मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन भी लगाएं। नाखूनों को पक्के रंगों से बचाने के लिए इन पर गहरे रंग की नेलपॉलिश लगाएं।
- होली खेलने के दौरान अपनी आंखों की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दें। आंखों में रंग न जाए इसके लिए सनग्लासेस पहनें। जिस दौरान कोई रंग लगाए, आंखों को अच्छी तरह से बंद कर लें। यदि आंखों में रंग जाए तो आंखों को तुरंत धोएं।
- होली के दौरान लगातार पानी पीते रहें। इससे त्वचा में नमी बनी रहती है।
- होली के बाद चेहरे की साफ-सफाई के लिए फेशियल कराने से बचें। इससे चेहरे के रोमकूपों में गई ग्रीस, धूल-मिट्टी या रंग की वजह से मुहांसे हो सकते हैं।
- होंठों को रंगों के प्रभाव से बचाने के लिए उन पर पेट्रोलियम जैली की मोटी परत लगाएं। इसके स्थान पर मॉइस्चराइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- होली के खेलने के तुरंत बाद अपने शरीर पर लगे रंगों को साफ करें। जिस समय गीले हो उसी समय उन्हें धोएं, क्योंकि सूखने के बाद यह त्वचा पर गहरे निशान छोड़ जाते हैं।
- त्वचा को रंगों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए आटे में तेल डालकर नींबू के छिलकों से त्वचा को साफ करें। नहाने के बाद शरीर पर मॉइस्चराइजर लगाएं। नहाने के पानी में नींबू के रस की कुछ बूंद डालकर त्वचा की साफ-सफाई करें।
- रंग छुड़ाने के दौरान बाल धोने के बाद उनकी कंडीशनिंग करें। यदि बाल रंगों के दुष्प्रभाव से रूखे हो जाते हैं तो उनमें तेल की मालिश करें।
- रंगों के कारण त्वचा ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, इसलिए होली के बाद ब्लीचिंग, शेविंग तुरंत न कराएं ताकि हमारी त्वचा को रंगों से हुए नुकसान की रिकवरी के लिए थोड़ा समय मिल सके। घर में ही घरेलू चीजों से बने उबटन लगाएं।
- चेहरे पर लगे रंगों को छुड़ाने के लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। चेहरे को हल्के गर्म पानी से धोएं और इस पर अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर लगाएं।
- त्वचा पर लगे रंगों को छुड़ाने के लिए इसे ज्यादा न रगड़ें। इससे रंग तो कम छूटता है लेकिन त्वचा को ज्यादा नुकसान हो सकता है।
- रंगों से होने वाले बालों के नुकसान के लिए अपने बालों को न तो कर्ल कराएं और न ही बालों के लिए कोई नए किस्म का ट्रीटमेंट कराएं। यह हमारे बालों को रूखा और बेजान बना सकता है।
- होली खेलने के बाद अपने शरीर की साफ-सफाई करें और मॉइस्चराइजर के द्वारा त्वचा को होने वाले नुकसान से इसे उबारें।
- होली खेलने के बाद यदि बार-बार शैम्पू करने से बाल रूखे या बेजान हो जाते हैं या फिर रंगों में मौजूद रसायनों के कारण बाल गिरने लगते हैं तो सोने से पहले जैतून और बादाम के तेल से बालों की मालिश करें। इससे बालों की खोयी चमक वापिस मिल सकती है।

होली पर सौंदर्य

साप्ताहिक समय माया

मतदान से गिनती तक 45 दिन जालसाजी के लिए भरपूर समय

पेज 1 का शेष

इस संबंध में गुरुवार 14 मार्च को प्रधानमंत्री आवास पर चयन समिति की बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा में सबसे बड़े दल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे. ये दोनों पद पूर्व चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के रिटायर होने और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद खाली हुए थे. प्रधानमंत्री आवास में बैठक समाप्त होने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने इस चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें न तो नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की प्रोफाइल देखने के लिए पर्याप्त समय दिया गया और न ही शॉर्टलिस्ट किए गए अधिकारियों के नाम उन्हें पहले से बताए गए थे. उन्होंने कहा कि बैठक से ठीक एक दिन पहले 212 उम्मीदवारों की पूरी सूची उन्हें सौंपी गई थी. यानी ये पूरा चयन सिर्फ दो लोगों प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की मर्जी से किया गया है. ध्यान रहे कि ये नियुक्तियां ऐसे समय में हुई हैं, जब चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने हेतु चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम-2023 के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाने के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की इस याचिका में मांग की गई है कि समिति में मुख्य न्यायाधीश को फिर से शामिल किया जाए.

ज्ञानेश कुमार साल 1988 बैच के केरल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों के रूप में अमित शाह के साथ काम किया है. ज्ञानेश कुमार संसदीय मामलों के सचिव के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उनकी भूमिका सरकार के कई जरूरी फैसलों में रही है, जो मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल यानी 2019 में लिए हैं. ज्ञानेश कुमार को अनुच्छेद 370 हटाने के दौरान कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई थी. उन्होंने गृह मंत्रालय में कश्मीर डेस्क के संयुक्त सचिव के रूप में काम किया था. कुमार की अहम भूमिका अमित शाह के साथ अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने में भी मानी जाती है.

ज्ञानेश कुमार को गृहमंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है. उन्होंने शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय के सचिव के तौर पर भी मई 2022 में काम किया. इस साल जनवरी 2024 में सेवानिवृत्त होने से पहले, कुमार ने मंत्रालय के भीतर तीन सहकारी समितियों को एक साथ रखा था, जो मोदी सरकार की एक प्रमुख परियोजना थी. उनके कार्यकाल के दौरान, सहकारिता मंत्रालय ने बहु-राज्य सहकारी समितियां एमएससीएस संशोधन अधिनियम, 2023 और तीन नए राष्ट्रीय सहकारी निकायों – भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड बीबीएसएसएल, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एनसीओएल, और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड एनसीईएल को अधिनियमित किया.

उत्तराखंड कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह संधू 1988 बैच में ज्ञानेश कुमार के ही बैचमेट थे. जुलाई 2021 में मुख्य सचिव का पदभार संभालने के लिए उत्तराखंड वापस भेजे जाने से पहले, संधू भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अध्यक्ष थे. उन्होंने अक्टूबर 2019 में एनएचएआई की कमान संभाली थी. वह मानव संसाधन मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव पद पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं.

संधू ने मोदी सरकार की कुछ प्रमुख सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें रिकॉर्ड संख्या में राजमार्गों का निर्माण भी शामिल है. संधू के नेतृत्व में एनएचएआई की यह उपलब्धि भाजपा के अभियान का प्रमुख आकर्षण रही है. संधू को उत्तराखंड का मुख्य सचिव उस समय बनाया गया था जब साल 2021 में पुष्कर सिंह धामी यहां मुख्यमंत्री बने थे.

विपक्ष चिंता व्यक्त करता है

लोकसभा में कांग्रेस के नेता और दो चुनाव आयुक्तों को चुनने वाले पैनल में एकमात्र विपक्षी प्रतिनिधि अधीर रंजन चौधरी ने बाद में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली चयन समिति को एक असहमति नोट सौंपा। उन्होंने कहा कि 14 मार्च की बैठक से पहले उन्हें उम्मीदवारों या यहां तक कि शॉर्टलिस्ट पर डोजियर उपलब्ध नहीं कराया गया था। 'मैंने एक असहमति नोट दिया क्योंकि मुझे आधी रात को 212 नाम दिए गए थे, लेकिन बैठक में, मैंने केवल छह नाम देखे। मुझे इन लोगों के बारे में कैसे जानकारी हो सकती है?' उन्होंने मीडिया से कहा. चौधरी ने उल्लेख किया कि आधी रात के आसपास दिल्ली पहुंचने पर उन्हें योग्य नौकरशाहों की एक लंबी सूची सौंपी गई थी।

उन्होंने कहा, ''यह समझा जाता है कि सरकार जिसे चाहे उसे चुन सकती है, लेकिन इसमें भी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.'' वही हाल नये चुनाव आयुक्त संधू का भी है जिसने और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में5 से 10 गुना की डीपीआर बनवाकर निविदाओं की स्वीकृति में ही मोटा कमीशन खाने से लेकर अधिकांश ठेके मोदी मित्रों को दिलवाने, फिर स्तरहीन काम करवा कर उसे मोटा कमीशन खाने मोटे टोल ठोकने ममोदी शाह के साथ नितिन गडकरी के भी चहेते रहे हैं। फिर चुनाव में आते ही साथ आपने देखामतदान से लेकर गिनती तक में 45 दिन का लंबा समय पुरी की पुरी जालसाजियां करने में समय जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। दिया गया है। जबकि चुनाव आयोग स्वीकार करता है। कि उसकी 15 लाख वोटिंग मशीन गायब हैं।

दूसरी तरफमतदान होने के बादमतदान की मशीनों परऊपर से सेल लगाई जाती है जबकिइससे संबंधित जुड़े हुए अधिकारियों ने बतायाऊपर लगी सील से कुछ नहीं होता क्योंकि उसके चार्जिंग पोर्ट और कंप्यूटर या मोबाइल से कनेक्ट करके उसमें आसानी से परिवर्तन किए जाते हैं। यहां तकजिलों में बने हुए स्ट्रांग रूम का सवाल हैतो वहां सामने से ताला लगा रहता है और पीछे अधिकांश मेदरवाजे हैं वहां से घुसकर सारा खेल किया जाता हैऔर प्रकार चुनाव परिणाम को इच्छा अनुसार बदल के सत्ताधीश दल इन हरामखोर भारतीय प्रधान सेवा के अधिकारियों को छल, बल, दल से पिछले 10 सालों से अपनी इच्छा अनुसारपरिणाम प्राप्त कर रहा हैदूसरी तरफजब देश की 80इ जनता वह अन्य राजनीतिक दल नहीं चाहते की मशीनों से चुनाव करवाए जाएं। तो आखिरमशीन बंद क्यों नहीं की जाति और मत पत्रों से चुनाव क्यों नहीं करवाए जाते? बेशक मत पत्रों से भी चुनाव में जालसाजियां लूट भ्रष्टाचार होते हैं। फिर यही भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारी जो चुनाव आयोग से लेकरजिला मेसारे चुनाव करवाते हैं। सत्ताधीशों के शाम दाम दंड भेद व व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोकतंत्र का गला घोंट हर संभव जालसाजियां को पिछले 10 साल से लगातार अंजाम दे सत्ताधीशों को एक तरफा चुनाव जितवा रहे हैं।

चीन ने धन बल छल से पड़ोसियों को बनाया अपना

पेज 1 का शेष

इस नीति को 'एक्ट ईस्ट' नीति द्वारा भी समर्थन प्राप्त है, जिसके तहत भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और शेष एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ संबंधों में सुधार करना चाहता है।

इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली ने क्षेत्र के पांच देशों - बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका - को ऋण की सुविधा प्रदान की है और बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से ऊर्जा और कनेक्टिविटी में भी निवेश किया है। इन प्रयासों का समर्थन करने के लिए, अदानी समूह जैसे भारतीय समूह ने 'विदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं' के लिए रियायती ऋणों की सहायता से एशिया में अपनी उपस्थिति काफी बढ़ा दी है। न तो चीन और न ही भारत के अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के प्रयास चुनौतियों से रहित हैं। चीन के लिए, बीआरआई को उसके 'शिकारी' ऋणों और चीन की सरकार और आर्थिक विकास के सत्तावादी मॉडल को वैध बनाने की कोशिश के लिए महत्वपूर्ण आलोचना का सामना करना पड़ा है।

कुछ लोगों का कहना है कि चीन के पक्ष में व्यापार घाटे का बढ़ना, उधारकर्ताओं की सुरक्षा के लिए मजबूत संस्थागत तंत्र की अनुपस्थिति और चीन के ऋण देने के पैमाने के साथ-साथ, बीआरआई निवेश स्वीकार करने वाले देशों के लिए जोखिम पैदा करता है।

फिर भी अन्य लोगों का तर्क है कि 'ऋण जाल कूटनीति' की आशंकाएं अतिरंजित हैं , यह देखते हुए कि चीनी निवेश को लगभग हमेशा प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है, चाहे उसकी शर्तें कुछ भी हों।

भारत की विदेश नीतियां भी जांच के दायरे में आ गई हैं। क्षेत्रीय विवादों और नई दिल्ली की असंगत क्षेत्रीय भागीदारी के साथ-साथ, ऐसी चिंताएँ भी हैं कि भारत दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आधिपत्य हासिल करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग तंत्र को अपना सकता है।

बांग्लादेश और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में भारत विरोधी भावना ने इन आशंकाओं को और भी बदतर बना दिया है, जहां भारत पर घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करने का विश्वसनीय आरोप लगाया गया है। भूटान जैसे अन्य देशों के लिए, नई दिल्ली के साथ घनिष्ठ संबंधों ने अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न की है।

दक्षिण एशिया में यह चीन-भारत प्रतियोगिता प्रणालीगत चीन-अमेरिका प्रतिस्पर्धा की पृष्ठभूमि में खड़ी है। यह अस्थिर वातावरण छोटे दक्षिण एशियाई देशों को - जो अपने द्विपक्षीय संबंधों में भारत के पक्ष में शक्ति की विषमता के बारे में चिंतित हो सकते हैं - भारत के साथ बेहतर सौदा पाने के लिए चीन से प्रस्तावों का उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है, और इसके विपरीत।

हालाँकि, इससे उनके क्षेत्रीय और वैश्विक भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में फंसने का जोखिम है, और हर तरफ से दबाव पड़ सकता है। आखिरकार, जैसा कि नेपाल के उदाहरण से पता चलता है, संतुलन बनाना कठिन है। वर्तमान स्थिति में, दक्षिण एशिया का भू-राजनीतिक परिदृश्य इस बढ़ती प्रतिद्वंद्विता से तय हो रहा है, और ये छोटी शक्तियां इसे कैसे संचालित करती हैं, इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

किसान आत्महत्या

छह साल में 1318 ने की खुदकुशी

मध्य प्रदेश में रोजाना किसी न किसी कारण से किसान सुसाइड कर रहे हैं। पिछले 6 साल में 1318 किसानों ने आत्महत्या की है। इन किसानों की आत्महत्या का सरकारी रिकॉर्ड में बड़ा अजीब तर्क दिया गया है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की मौत का कारण विक्षिप्त, नशेड़ी या कलह बताया गया है। वहीं किसानों की आत्महत्या पर किसानों के परिजनों का कहना है कि कर्ज और दोगुना ब्याज इनकी जान ले रहे हैं।

खुदकुशी मामले में कर्ज का जिक्र ही नहीं

मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में जितने भी किसानों ने खुदकुशी की, उनमें से एक भी मामले में कर्ज का जिक्र नहीं है। पुलिस जांच बिंदु में कर्ज से मौत का कॉलम ही नहीं है। गरीबी जांच के बिंदु में है, पर इससे एक भी मौत नहीं दिखाई गई। साल 2020 में 235 किसानों ने आत्महत्या की। इसमें 73 का कारण पारिवारिक कलह, 55 की वजह पागलपन, मानसिक बीमारी और तीसरा अहम कारण- नशे की लत बताया गया। एनसीआरबी के मुताबिक, 2017 से 2022 के बीच प्रदेश के 1318 किसानों ने आत्महत्या की।

परिजनों का दावा

वहीं किसान आचड़िया के परिजनों का दावा है कि मूंग, उड़द, सोयाबीन बर्बाद हुई तो तनाव में आकर आत्महत्या कर ली है। किसान आचड़िया की पत्नी कुबई बताती हैं कि 2018 में मूंग, उड़द और सोयाबीन की फसल सही से नहीं पकी। कर्ज के दबाव में वे ही तो पति ने यह कदम उठा लिया। सरकार का कोई भी नुमाइंदा मिलने तक नहीं आया। बेटे इंदर सिंह कीर ने बताया कि पिता दुलीचंद ने 12 जून 2017 को खुदकुशी की थी। उन पर किसान क्रेडिट, बैंक ऑफ इंडिया व साहूकारों का 8 लाख का कर्ज था।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शॉपिंग मॉलस जनता को लूट देश की कर रहे बर्बादी

पेज 8 का शेष

मॉलों में खरीदारी करने से, ग्राहकों की, बेहतर गुणवत्ता वाले ब्रांडेड उत्पादों को खरीदने की इच्छा पूरी हो जाती है, जिससे उन्हें संतुष्टि मिलती है। कुछ किशोर दिखावे के लिए भी मॉलों में जाते हैं। निश्चित रूप से शॉपिंग मॉलों ने भारत में एक नई संस्कृति को जन्म दिया है, जो कि खरीदारी से संबंधित हमारी पारंपरिक संस्कृति से बिल्कुल अलग है।

भारत, आय में वृद्धि होने के कारण बाजार के क्षेत्र में लोगों को कार्य करने के अत्यधिक अवसर प्रदान कर रहा है, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों की जीवन शैली में काफी सुधार और बदलाव आया है। 2001 में, भारत में सिर्फ तीन मॉल थे। 2007 में, जिनकी संख्या बढ़कर 343 हो गई। मई 2013 में की गई गणना के अनुसार, भारत में कुल 570 मॉल संचालित थे। बंगलौर में स्थित 'असिपक कंसल्टिंग' के आँकड़ों के मुताबिक भारत में, 2008 के मुकाबले, 2013 में मॉलों की संख्या दो गुनी हो गई थी।

मॉल के दो मुख्य प्रारूप हैं: –

मॉल

पारिवारिक मनोरंजन केंद्र

पारिवारिक मनोरंजन केंद्रों में आमतौर पर मनोरंजन अनुभाग, फूड कोर्ट (भोजनालय) और फुटकर बिक्री की दुकानें होती हैं।

भारत में मॉल कितने सफल हैं?

अक्सर यह देखा गया है कि बहुत से मॉल बड़ी उम्मीदों के साथ खोले जाते हैं लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें बंद करना पड़ जाता है। इन मॉलों में, पाम बीच रोड पर पूर्ण स्टॉप मॉल, नवी मुंबई की मरीन ड्राइव, नवी मुंबई में गोल्ड सिटी मॉल, दिल्ली में स्टार सिटी मॉल और अन्य कई और अधिक नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा कई मॉल ऐसे भी हैं, जहाँ 70 से 80 प्रतिशत जगह खाली पड़ी है। जिसका प्रमुख कारण, मॉल के निर्माण स्थान का गलत चयन है। विशेषज्ञ, किसी भी क्षेत्र में एक मॉल खोलने से पहले, उस क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जाँच करने की सलाह देते हैं। किसी मॉल की सफलता वास्तव में उसके स्थान, जनसांख्यिकीय कारकों और स्थानीय आबादी के खर्च की शक्ति पर निर्भर करती है। भारत में कुछ सबसे विशाल मॉल भी हैं: जिनमें फीनिक्स मार्केट सिटी मुंबई (मुंबई, महाराष्ट्र), मेट्रो जंक्शन मॉल (कल्याण, महाराष्ट्र), लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल (कोच्चि, केरल), दि ग्रेट इंडिया प्लेस (नोएडा) और जेड स्क्वायर शॉपिंग मॉल (कानपुर, उत्तर प्रदेश) शामिल हैं। भारत में बने सभी मॉलों ने उपभोक्ताओं की जीवन शैली को पूरी तरह से बदलने का कार्य किया है तथा फुटकर क्षेत्र को और अधिक संगठित करने में मदद की है।

धार का ऐतिहासिक भोजशाला एक बार फिर से चर्चा में है। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी की तरह इसके आधुनिक सर्वे के निर्देश दिए हैं। इसके बाद यह साफ होगा कि यह मंदिर या मस्जिद। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के लोगो मे खुशी है। वही, मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है।

ज्ञानवापी की तरह ऐतिहासिक भोजशाला का होगा सर्वे

देवी-देवताओं की मूर्तियां, सनातन परंपराओं की आकृतियां... क्या कहता भोजशाला का इतिहास? हर कोने में है साक्ष्य...

- हिंदू और मुस्लिमों पक्षों की मौजूदगी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करेगा सर्वे
- हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला परिसर का बदल गया है माहौल
- इतिहासकारों का कहना है कि यहां सनातन संस्कृति से जुड़े साक्ष्य हैं

हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार जिले स्थित भोजशाला परिसर में गहमागहमी बढ़ गई है। हिंदू संगठन के लोग वहां जश्न मना रहे हैं। वहीं, दूर-दूर से लोग अब भोजशाला को देखने आने लगे है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला परिसर में पहले की तुलना में वहां गहमागहमी बढ़ गई है।

हिंदू संगठन के लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। भोजशाला परिसर का विवाद 800 साल पुराना है। यहां के खंभों पर हिंदू धर्म से जुड़ी आकृतियां हैं। इसके बाद हिंदू पक्ष कहता है कि राजा भोज द्वारा बनवाया गया है, यह भोजशाला है। वहीं, मुस्लिम पक्ष के लोग इस कमाल मौला मस्जिद बताते हैं। उनका कहना है कि हम 800 साल से यहां नमाज पढ़ रहे हैं। हमें हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्ण विश्वास है।

बनारस के ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार दिए जाने के बाद हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ट्रस्ट ने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में अपनी याचिका के बीच अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमे धार की भोजशाला मे तथ्य और प्रमाणों के लिए ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) को सर्वे कराने के निर्देश देने बाबत मांग की थी। 11 मार्च 2022 को इसे लेकर फैसला आ गया है। कोर्ट ने अपने आदेश मे स्पष्ट कहा कि ASI के महानिदेशक या अतिरिक्त महानिदेशक के नेतृत्व में ASI के 5 या 5 से ज्यादा अधिकारियों की एक विशेष समिति बनाए। यह भोजशाला की ऐतिहासिकता का वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वे करे। सर्वे पर एक डॉक्यूमेंट रिपोर्ट छह हफ्ते के अंदर अदालत को सौंपे।

मई 2022 में लगाई गई थी याचिका

मई 2022 मे हिंदू संगठन (हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस) की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी, जिसमे भोजशाला को मंदिर बताए जाने, वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित करने, विधिवत पूजा अर्चना करने और नमाज बंद करने जैसी मांग की गई थी। जिस पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए धार की ऐतिहासिक भोजशाला का ज्ञानवापी की तर्ज पर सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सोमवार को इस मुद्दे पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को पांच विशेषज्ञों की टीम बनाने को कहा है। इस टीम को छह सप्ताह मे रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपनी होगी। हिन्दू फ्रंट का मानना है कि ASI सर्वेक्षण के दौरान खुदाई में कई मूर्तियां, चिह्न और संकेत ऐसे पाए जाएंगे, जिससे यह साफ हो सकेगा कि यह मस्जिद नही बल्कि पूर्णतः मंदिर ही था। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के संयोजक आशीष गोयल ने कहा कि लंबी मेहनत के बाद हमे सफलता मिली है। कोर्ट में हमने सारे साक्ष्य दिए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सारे पक्षो को नोटिस जारी किया था। सारी पार्टियों ने धीरे-धीरे जवाब दिया था। पांच फरवरी 2024 मे हमने एक याचिका लगाई थी कि कोर्ट भोजशाला परिसर की एक साइंटिफिक सर्वे कराए। कोर्ट ने सबकी सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हमें पूर्ण पूजा का अधिकार मिले

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वाग्देवी की मूर्ति ब्रिटिश संग्रहालय में है। इसे लाकर यहां फिर से स्थापित किया जाए। साथ ही अवैध रूप से हो रहे नमाज को बंद किया जाए। कोर्ट ने सर्वे के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए हैं। हमारी मांग है कि हमे 24 घंटे 365 दिन यहां पूजा की अनुमति दी जाए। सर्वे 50 मीटर की परिधि में होगी। इसमे तमाम आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा।

कोर्ट में साक्ष्य क्या पेश किए

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के संयोजक आशीष गोयल ने कहा कि कोर्ट में हमने साक्ष्य के रूप में 23 देवी-देवताओं के चित्र प्रस्तुत किए हैं। कई प्रमाणिक कागजात थे। वे सत्य पर आधारित थे इसलिए माननीय न्यायालय ने हमें मौका दिया है। यह मां सरस्वती का सदन है। इसे राजा भोज ने स्थापित किया है। इस परिसर में हिंदू-देवी देवताओं के प्रतीक चिह्न हैं। हम कानून और संविधान के दायरे में रहकर अधिकार लेंगे। मुगलों ने हमारे सारे धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण किया है। इतिहासकार डॉ दीपेंद्र शर्मा ने कहा कि राजा भोज ने 1034 में इसकी स्थापना की थी। यह इमारत अपने आप में खास है, देश के अलग-अलग कोनो से विद्वानो ने आकर यहां ज्ञान का सृजन किया है। यहां अलग तरह की संस्कृति साक्षरता थी। यहां से पूरे देश और दुनिया को सुशासन के सूत्र दिए गए हैं। भोजशाला में विद्वान और साहित्यकार आते थे। अब न्यायालय इसमें न्याय का काम कर रहा है। यह इमारत अपने इतिहास को लेकर खुद ही साक्षी है। सुनने की मोहलत मिलेगी तो आवाज इन पत्थरों में है।

कोर्ट ने क्या दिए हैं आदेश

एमपी हाईकोर्ट ने भोजशाला मंदिर और कमाल मौला मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से पांच सदस्यीय पैनल सर्वेक्षण करेगा। रिपोर्ट छह हफ्ते में आने की उम्मीद है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने जांच में जीपीआर/जीपीएस सर्वेक्षण, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और कार्बन डेटिंग पद्धति को शामिल करने कहा है। अदालत ने कहा कि परिसर की रहस्यमयी आकृति, रूप और चरित्र के कारण जांच आवश्यक है। इसके अलावा, अदालत ने इस प्रक्रिया में शामिल दोनों विवादित समुदायों के प्रतिनिधियों के होने के महत्व पर जोर दिया।

सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

धार शहर की मस्जिद के मुख्य मौलवी वकार सादिक ने घोषणा की कि मस्जिद प्रबंधन सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में जारी आदेश को चुनौती देने की योजना बना रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित 11वीं सदी का स्मारक भोजशाला हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए धार्मिक महत्व रखता है।

हिंदू इसे देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर मानते हैं, जबकि मुसलमान इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। एएसआई के आदेश के अनुसार, अप्रैल 2003 से हिंदू मंगलवार को पूजा कर रहे हैं और मुसलमान शुक्रवार को नमाज अदा कर रहे हैं।

मंदिर या दरगाह

वहीं, अदालत ने स्मारक अधिनियम, 1958 की धारा 16 पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसका उद्देश्य पूजा स्थलों को दुरुपयोग, प्रदूषण और अपवित्रता से बचाना है। कोर्ट ने इस धारा के तहत इसके प्राथमिक उद्देश्य को समझाने के लिए पूजा स्थल के चरित्र को निर्धारित करने के महत्व पर जोर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक पूजा स्थल का चरित्र या प्रकृति निर्धारित नहीं हो जाती, तब तक मंदिर का उद्देश्य रहस्य में डूबा रहता है। कोर्ट का निर्णय इन पवित्र स्थलों के उद्देश्य के बारे में स्थिति स्पष्ट करेगी। कोर्ट ने माना है कि स्मारक की प्रकृति और चरित्र को समझने और स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

पिछले 10 सालों में 3 करोड़ उद्योग धंधे बंद और 30 करोड़ लोग बेरोजगार

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शॉपिंग मॉलस जनता को लूट देश की कर रहे बर्बादी

भारत में मोदी के सत्ता में आने के बाद मोटा चंदा डकार देशी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के व्यापार को फलने फूलने के लिए कानून ठोकने के साथ अनेकों प्रकार के षड्यंत्र जिसमें सफाई कैशलेस नोटबंदी जीएसटी तालाबंदी स्मार्ट सिटी विकास का तांडव किया गया सब का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मोटा धन लेकर देश के तीन करोड़ से ज्यादाव्यवसायों उद्योगों धंधों को चौपट करलगभग 30 करोड़ बनाया गया बदले में ज्यादा हो हल्ला नहीं मचे रु.1 किलो का गेहूं रु.2 किलो का चावल को अगले 5 वर्षों तक 100 करोड़ लोगों को बांटने की गारंटी की घोषणा कर दी गई। परिणाम स्वरूप हमारा देशभुखमरी में 116 नंबर परबेरोजगारी में 129 मेंऔरप्रति व्यक्ति आय में 34वें क्रम से 143वें क्रम में पहुंच गया। यह है पिछले 10 वर्षों की मोदी सरकार की उपलब्धियां जहां हम छोटे गरीब देशों बांग्लादेश श्रीलंका पाकिस्तान वियतनाम म्यांमार वर्मा की अपेक्षा पिछड़े हुए हैं।

बढ़ते मॉल कल्चर से खतरे में पुराने बाजार

वर्तमान समय में, भारत के फुटकर क्षेत्र (छोटे बाजार आदि) जैसे 'हाट' और 'साप्ताहिक बाज़ार' परिवर्तित होकर अत्यधिक आलीशान, कृत्रिम और सजीले शॉपिंग मॉलों के रूप में विकसित हो रहे हैं। कुछ साल पहले तक हमारी माँ घर के सामान-सौदे की खरीददारी के लिए 'किराने की दुकानों' पर जाया करती थी, लेकिन वर्तमान समय में 'किराने की दुकानों' का स्थान 'मॉलों' ने ले लिया है। इन परिवर्तनों के बावजूद, कुछ 'किराने की दुकानें', अभी भी छोटे कस्बों, शहरों और यहाँ तक कि महानगरों और बड़े शहरों में देखी जा सकती हैं, जो कई परिवारों की दैनिक जरूरतों को पूरा करती हैं। हालांकि, परिवर्तन गतिशीलता से हो रहा है लेकिन निश्चित रूप से फुटकर स्टोर और मॉल, फुटकर उद्योगों को असंगठित से संगठित करने में निरन्तर अपना योगदान दे रहे हैं। अभी भी भारत में, कुल फुटकर क्षेत्र का मात्र 5इ, एक फुटकर क्षेत्र को संगठित बनाये रखने में सहायक है।

मॉल ने खरीदारी के अनुभव को बदल दिया

मॉल केवल एक शॉपिंग का स्थान ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जिसने समाज में समूहीकरण और मनोरंजन को फिर से जीवित करने का कार्य किया है। बड़े-बड़े शॉपिंग मॉलों में आप एक ही छत के नीचे सब कुछ खरीद सकते हैं, चाहे वो ब्रांडेड कपड़े हो, किराने से संबंधित सामान हो, इलेक्ट्रानिक्स का सामान हो या जूते ही हों। बिना किसी संदेह के, हम यह कह सकते हैं कि मॉलों ने भारतीयों की खरीददारी के अनुभव को पूरी तरह से बदल दिया है। सूरज की तेज गर्मी में खरीददारी करने के स्थान पर अब लोग मॉलों के अन्दर एसी में रहकर शॉपिंग करना अधिक पसन्द करते हैं। युवा इन्हें एक प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में देखते हैं।

(शेष पेज 6 पर)

चुनावी महोत्सव, अधिकारियों की करोड़ों की कमाई के साधन

लोक निर्माण, निगम पालिकायें, सब कमाएंगे व्यवस्था के नाम करोड़ों

पिछले चुनाव में इंदौर में ही 40 से ज्यादा विशेष मतदान केंद्रों पर इंदौर नगर निगम ने हजारों का काम कर प्रति मतदान केंद्र 25 से 40 लाख रुपए तक मतदान केंद्रों की विशेष सजावट के नाम पर हजम कर लिए थे वैसे सभी 2200 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर बिजली पानी कैमरे आपकी व्यवस्था करने के नामपर लाखों रुपए के बिल बनाकर लोक निर्माण विभाग के न केवल इंदौर में भवन एवं पथ के संभाग क्रमांक 1 की कार्यपालन यंत्री मनोज सक्सेना और 2 के कार्य सोनी के साथ विद्युत यांत्रिकीय संभाग के घर भ्रष्ट और मूढ़ बी के जैन भी जो 8 जिलों के सभी शासकीय विभागों की विद्युत यांत्रिकीय की व्यवस्थाओं को संभालता है।

इंदौर संभाग के ही आठ जिलों के लगभग 15000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर विद्युत प्रकाश पंखे और कैमरे की व्यवस्थाओं के हरामखोरों ने करोड़ों रुपए हजम कर लिए पर दिखावटी काम चलाओ पंखा बिजली की व्यवस्था शुरू की गई परंतु कैमरे जो कि हर मतदान केंद्र पर होने वाली जालसाजी फर्जी वोटिंग की निगरानी करने के लिए चुनाव आयोग के आदेश पर जिले के कलेक्टरों को हर मतदान केंद्र आवंटित धन से करनी चाहिए थी और उसका रिकॉर्ड सुरक्षित करना चाहिए था।

जिसकी जानबूझकर कोई व्यवस्था नहीं की गई। ताकि सत्ताधीशों के द्वारा किए जा रहे फर्जी वोटिंग, मशीन बदलने वोटिंग में आए वोटरो के फोटो के रिकॉर्ड रखने आदि के षड्यंत्रो का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहे के लिए जानबूझकर केंद्रों कीव्यवस्था को कागजों पर दिखाकर पैसा हजम करने के साथ कोई व्यवस्था नहीं की जाती।

यही हॉट परिवहन विभाग का है वह भी सभी शासकीय कार्यक्रमों में 50 से 80% तक की वाहनों को मतदान टीम को लाने ले जाने के लिए संलग्न करने भुगतान करने के बिलों को न केवल चुनावी कार्यक्रम में बल्कि सभी शासकीय कार्यक्रमों में भी लगाकर न केवल इंदौर में बरन पूरे प्रदेश व देश में हर वर्ष अरबों रुपए हजम कर जाता है जिसमें जनसंपर्क अधिकारी कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी जिला प्रोटोकॉल अधिकारी को शामिल होते हैं हिस्सा बांट दिया जाता है। इसी कारण निर्वाचन शाखा लोक निर्माण विभाग नगर निगम पालिकाओं क्षेत्रीय व जिला परिवहन, जनसंपर्क अधिकारी सारे जालसाज हरामखोर सूचना के अधिकार में ना तो आदेशों आवंटन बिलों उसके भुगतान की जानकारियों को अपनी विभागीय वेबसाइटों पर उपलब्ध कराते हैं और ना ही यह डकैतों का गिरोह सूचना के अधिकार में जानकारी देता है।

यहां तक की बीएलओ व चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों के वोटर आईडी कार्ड जांचने बांटने संशोधित करने आदि के कार्यों से लेकर मतदान गिनती के के दिन तक का जो भत्ता आदि मिलता है उसका भुगतान भी निर्वाचन शाखा का एडीएम एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक महीनो बाद आधा अधूरा बांटना या पूरा हजम कर जाने का षड्यंत्र भी वर्षों से चल रहा है।

वैसे देश के पांच राज्यों में नवंबर में जो चुनाव हुए थे उसके अंतर्गत सभी मतदान के दो पर मतदाताओं को मतदान केंद्र पर सुविधाजनक तरीके से मतदान करवाने के लिए, छाया के लिए टेंट, ऊंचाई पर होने के कारण दिव्यांगों के लिए रैंप, पेयजल के लिए निकट स्रोत से जल की व्यवस्था, विद्युत प्रकाश, पंखे, आदि के लिए प्रति मतदान केंद्र 5 लाख ऑस्टिनेशन आवंटित किया जाता है जो आवश्यकता के अनुसार बनाया घटाया जा सकता है और फिर आपने पिछले चुनावों में अकेले इंदौर के ही 40 मतदान केंद्र पर विशेष आकर्षक सात सज्जा सजावट की गई थी जिस पर सूत्रों के अनुसार 40 लाख रु. तक खर्च किया गया जो प्रदेश में लगभग ऐसे 5000 मतदान केंद्रों बनाए गए थे। जिनका 90% धन कागजों पर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर निगम पालिकाओं के आयुक्तों मुख्य कार्यपालन अधिकारियों कोषालय अधिकारियों ने मिलकर फर्जी कागजी बिल दिखाकर हजम कर लिया जो लगभग दो अरब रुपए के आसपास होता है।

यही कारण है कि यह हरामखोर शासकीय कार्यों और धन के वास्तविक व उचित उपयोग के संबंध में 19 वर्ष पहले पारदर्शिता के लिए लगाया गया सूचना अधिकार अधिनियम 5 की धारा कर के अंतर्गत सारी जानकारियां और राजधानी स्थित मुख्यालयों से लेकर जिलों के मुख्यालयों तक कोई भी आवंटन आदेश उपयोगिता के संबंध में उसके निविदाओं, कार्यादेश, संपन्न कार्य माल आपूर्ति के साक्ष्य स्वरूप वास्तविक फोटो वीडियो बिल और भुगतान की जानकारियां तकन केवल अपलोड नहीं करतेवरण सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने वाले आवेदकों को जानकारी का पत्र देने पर प्रसारित करने उल्टी सीधी जानकारी देने न मिलने पर अपील लगाने पर उसके अपील करता अधिकारी अपने निर्णय में जानकारी देने की वास्तविक आदेश करने की अपेक्षा उल्टा सीधा आदेश देना कानून का मजाक उड़ाने का कार्य करते हैं।

ताकि इन हरामखोर जलसाज भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों से लेकर जिलों के निर्वाचन, जनसंपर्क, परिवहन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय अधिकारी व अन्यसभी चुनावी महोत्सव के भ्रष्टाचार सेवसूली धन के हिस्सेदार होते हैं।

बेशक उसका पैसा प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य सचिव से मुख्यमंत्री तक पहुंचता है और उसका कुछ हिस्सा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त तक भी पहुंचता है इसलिए कोई भी किसी भी भ्रष्टाचार जालसाजी फर्जी मतदान, के दो पर कैमरे न लगाने व अन्य प्रकार के षड्यंत्रों में फर्जीवाड़े में सब चुप रहते हैं क्योंकि सबने हिस्सा खाया होता है।

जहां तक देश की समाचार पत्रों और मीडिया के मीडिया कर्मियों का सवाल है तो अधिकांश बड़े समूह को भी यथा योग्य धन जनसंपर्क अधिकारी से लेकर जिलों के कलेक्टर संभागों की आयुक्त निगम आयुक्त परिषदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तक यथायोग्यदान दक्षिणा समर्पित करने के कारण बेचारे सारे मीडिया कर्मी पत्रकार एंकर मुंह में दही जमा चुप बैठे रहते हैं किसी भी जालसाजी षड्यंत्र भ्रष्टाचार लूट आदि में 99% मामलों मेंकभी कुछ बोलते नहीं जानकारी मांगते नहीं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958